क्रम-संख्या–213

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 जुलाई 2010
आषाढ़ 21, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–1

संख्या 183/तीस-1–2010-5(152)-07
लखनऊ, 12 जुलाई, 2010

अधिसूचना

प०आ०–414

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी और अन्ततः दिनांक 8 अप्रैल, 2009 को सार्वजनिक सूचना देकर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 1606/तीस-1–2008-5(152)-07, दिनांक 9 फरवरी, 2009 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम याकूतपुर तहसील और जिला मुरादाबाद में क्षेत्रीय कार्यशाला के निर्माण हेतु आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुरादाबाद के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वह उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

टिप्पणी–अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 183/XXX-1-2010-5 (152)-07, dated July 12, 2010 for general information :

No. 183/XXX-1-2010-5 (152)-07

Dated Lucknow, July 12, 2010

In continuation of Government notification no. 1606/XXX-1-2008-5 (152)-07, dated February 9, 2009 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), and lastly published by giving public notice on April 8, 2009 the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for construction of Regional Workshop in Village Yakootpur, Tehsil and District Moradabad under preplanned transport setup and under section 17 of the said Act, to direct the collector of Moradabad to take order for Acquisition of the said land.

2. The Governor being satisfied that the case is one of urgency is further pleased under sub-section (1) of section 17 to direct that the collector of Moradabad though no award under section 11 has been made may on the expiration of 15 days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the said Schedule for the aforesaid public purpose:

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	गाटा संख्या Plot no.	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be acquired (In Hectares)
1	2	3	4	5
मुरादाबाद Moradabad	मुरादाबाद Moradabad	याकूतपुर Yakootpur	89	0.024
			90	0.089
			91	0.081
			92	0.563
			97	0.053
			98	0.049
			99	0.061
			100	0.065
			101	0.065
			102	0.097
			105	0.400
			106	0.405
			107	0.352
			108	0.741
			109	0.040
			110	0.040
			111	0.089
			योग -17 Total	3.214 हेक्टेयर Hectares
				7.94 एकड़ Acres

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:– सुनियोजित परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम याकूतपुर तहसील और जिला मुरादाबाद में क्षेत्रीय कार्यशाला के निर्माण हेतु।

For what purpose required :– For construction of Regional Workshop in Village Yakootpur, Tehsil and District Moradabad under preplanned setup.

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :– A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Moradabad.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 280 राजपत्र (हि०)–2010–(614)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा० परिवहन–2010–(615)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।